01 10/2020

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी
के वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष,
प्रतिवादी के जवाब एवं वादी द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्यादि पर सम्यक मनन किया गया।
वादी ग्राम खेलाबाद की भूमि खसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	89 रकबा 1.54है. पर अपनी वल्दियत दयानंद के स्थान पर दयाराम अंकित कर शुद्ध करवाना चाहता है। प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी, वादी को वांछित अनुतोष से सहमत है। अपने कथनों के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र, नकल जमाबंदी 2072-75 खैराबाद खाता नं. 918 प्रदर्श-1, नकल आंशिक नक्शा खैराबाद प्रदर्श-2, नकल खसरा गिरदावरी खैराबाद प्रदर्श-3, फर्द मिनान खैराबाद 2004-24 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी ग्राम खैराबाद 2055-58 खाता नं. 669 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी सं. 2051-54 ग्राम खैराबाद खाता नं. 587, नकल नामान्तकरण ग्राम खैराबाद नं. 1432, प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी बन्दोबस्त 2004-24 खैराबाद प्रदर्श-8, नोटिस 80 CPC. प्रदर्श 9, रसीद नोटिस 80CPC प्रदर्श-10, आधार कार्ड नं. 6368,5490,4117 की प्रति प्रदर्श-11A, वोटर आई.डी. H.R.A/1346774, प्रदर्श-12A., प्रस्तुत किये गये। वादी के नाम ग्राम खैराबाद में खसरा नम्बर 71 रकबा (0.11) भूमि दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि पर रामस्वरूप के पिता का नाम दयाराम दर्ज था। बाद बन्दोबस्त प्रदर्श पर खसरा नम्बर 69 रकबा (0.11) के लाभिक खसरा नम्बर 89 रकबा 1.54है. कायम किया। वादी द्वारा प्रदर्श 7 उक्त भूमि खरीद रजिस्टर्ड बैनामा क्रय करना प्रकट होता है तथा प्रदर्श-8 वादी की वल्दियत दयाराम के स्थान पर दयानन्द दर्ज कर दिया जाना प्रमाणित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	अन्य दस्तावेज में वादी की वल्दियत दयाराम ही दर्ज है।	

बन्दोबस्त के दरम्यान वादी के पिता का नाम दयाराम के स्थान पर दयानन्द दर्ज कर दिया है, जिसे दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित पाया जाता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेराबाद की भूमि खसरा नम्बर ८९ रकबा १.५४ है. पर वादी की वल्दियत दयानंद के स्थान पर दयाराम दर्ज की जावे। रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी